SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,
ANDHERI (E), MUMBAI – 400 096.
Tel: 28294770, Fax: 28291754
E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

No. SEEPZ/SEZ/EMS/GC/8/2015-16 **11.01.2017**

CIRCULAR No. 170/2017

It has been noticed that the units located in SDF I to VI and G & J Complex I to III and Public Utility units (Five years Sub lease Agreements), are facing difficulties, in seeking exemption from payment of stamp duty as envisaged u/s. 3 of the Bombay Stamp Act, 1958. In this regards a clarification is issued to the Office of Collector of Stamps stating that:-

"The MIDC is the LESSOR and Chairperson, SEEPZ SEZ, is the SUB-LESSOR. The Authority being a Government Authority is exempted from the payment of stamp duty u/s. 3 of the Bombay Stamp Act, 1958. Hence, the instrument of sub-lease is free from levying of any stamp duty."

The units, who are facing difficulties, may download the Clarification from the website www.seepz.gov.in and approach the Office of Collector of Stamps for resolution of the matter.

This circular is issued with the approval of Chairperson of SEEPZ SEZ Authority.

(V.P.Shukla)
JDC/ Manager (Estate)
SEEPZ-SEZ Authority

To,

Units in Gems & Jewellery Complex I to III,
Units in Standard Design Factory SDF I to VI,
Units relating to Public Utility.

सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण,
भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096
टेलीः 28294770, फैक्सः 28291754
ई-मेलः dcseepz-mah@nic.in, **वेबसाइटः** www.seepz.gov.in
****

सं.सीप्ज़/सेज़/ईएमएस/जीसी/8/2015-16/ **दिनांकः 11.01.2017**

परिपत्र संख्या 170/2017

यह देखने में आया है कि एसडीएफ I से VI, जी तथा जे कांप्लेक्स I से III तथा जनोपयोगी यूनिटों (पांच वर्षों का उपपट्टा करार) द्वारा मुंबई स्टांप अधिनियम, 1958 की धारा 3(3) के तहत यथाउपबंधित स्टांप ड्यूटी भुगतान से छूट प्राप्त करने के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है । इस संबंध में, कलेक्टर ऑफ स्टांप्स कार्यालय को निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता हैः-

"एमआइडीसी पट्टाकर्ता है तथा अध्यक्ष, सीप्ज़-सेज़ उप पट्टाकर्ता है । चूंकि प्राधिकरण सरकारी है अतः इसे मुंबई स्टांप अधिनियम, 1958 की धारा 3(3) के तहत स्टांप ड्यूटी के भुगतान से छूट प्राप्त है । तदनुसार यह उप पट्टा लिखित किसी भी प्रकार के स्टांप ड्यूटी लेवी से मुक्त है ।"

जिन यूनिटों को इसके चलते कठिनाइयां हो रही हों वे वेबसाइट www.seepz.gov.in से यह स्पष्टीकरण डाउनलोड कर सकते है तथा मामले के समाधान हेतु कलेक्टर ऑफ स्टांप कार्यालय से संपर्क कर सकते है ।

यह परिपत्र अध्यक्ष, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(हस्ताक्षर) 11/1/17

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त /
प्रबंधक (संपदा)
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रति,

जेम्स एंड ज्वैलरी कांप्लेक्स I से III में स्थित यूनिट
स्टैंडर्ड डिज़ाइन फैक्टरी एसडीएफ I से VI में स्थित यूनिट
जनोपयोगी यूनिट

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY,
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,
ANDHERI (E), MUMBAI – 400 096.
Tel: 28294770, Fax: 28291754
E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

No. SEEPZ/SEZ/EMS/GC/8/2015-16 **11.01.2017**

CLARIFICATION

It has been noticed that the units located in SDF I to VI and G & J Complex I to III and Public Utility units (Five years Sub lease Agreements), are facing difficulties, in seeking exemption from payment of stamp duty as envisaged u/s. 3 of the Bombay Stamp Act, 1958. In this regards a clarification is issued to the Office of Collector of Stamps stating that:-

"The MIDC is the LESSOR and Chairperson, SEEPZ SEZ, is the SUB-LESSOR. The Authority being a Government Authority is exempted from the payment of stamp duty u/s. 3 of the Bombay Stamp Act, 1958. Hence, the instrument of sub-lease is free from levying of any stamp duty."

The Office of Collector of Stamps is requested to grant exemption accordingly.

(V.P.Shukla)
JDC/ Manager (Estate)
SEEPZ-SEZ Authority

To,

The Supdt. Of Stamps,
Office of the Supdt. Of Stamps,
1st Floor, MMRDA Building,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai- 400051

सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण,
भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096
टेलीः 28294770, फैक्सः 28291754
ई-मेलः dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइटः www.seepz.gov.in
****

सं.सीप्ज़/सेज़/ईएमएस/जीसी/8/2015-16/ **दिनांकः 11.01.2017**

स्पष्टीकरण

यह देखने में आया है कि एसडीएफ I से VI, जी तथा जे कांप्लेक्स I से III तथा जनोपयोगी यूनिटों (पांच वर्षों का उपपट्टा करार) द्वारा मुंबई स्टांप अधिनियम, 1958 की धारा 3(3) के तहत यथाउपबंधित स्टांप ड्यूटी भुगतान से छूट प्राप्त करने के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है । इस संबंध में, कलेक्टर ऑफ स्टांप्स कार्यालय को निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता हैः-

"एमआइडीसी पट्टाकर्ता है तथा अध्यक्ष, सीप्ज़-सेज़ उप पट्टाकर्ता है । चूंकि प्राधिकरण सरकारी है अतः इसे मुंबई स्टांप अधिनियम, 1958 की धारा 3(3) के तहत स्टांप ड्यूटी के भुगतान से छूट प्राप्त है । तदनुसार यह उप पट्टा लिखित किसी भी प्रकार के स्टांप ड्यूटी लेवी से मुक्त है ।"

तदनुसार कलेक्टर ऑफ स्टांप्स कार्यालय से अनुरोध है कि वे छूट प्रदान करें ।

(हस्ताक्षर) 11/1/17

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त /
प्रबंधक (संपदा)
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रति,

स्टांप्स अधीक्षक
स्टांप्स अधीक्षक का कार्यालय
1ला तल, एमएमआरडीए बिल्डिंग,
बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051